क्रम-संख्या–97(क–2)

रजिस्ट्रेशननम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्सटूपोस्ट ऐटकन्सेशनलरेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जून, 2024

आषाढ़ 6, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग–3

संख्या 9 / 2024 / 401 / 24-3-2024-24-3-25-2024

लखनऊ, 27 जून, 2024

अधिसूचना

सा0प0नि0–22

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 162 की उप–धारा (1) और धारा 180 की उप–धारा (2) के खंड (ण) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य विद्युत / निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताओं, शक्तियों तथा कृत्यों का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य, नियमावली, 2024 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) से है;

(ख) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी प्राधिकारी से है जिसके समक्ष इस नियमावली के नियम 8 में यथा उपबंधित विद्युत निरीक्षक या मुख्य विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध अपील की जाएगी;

(ग) "निदेशालय'' का तात्पर्य निदेशक, विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय से है;

(घ) "निरीक्षक'' का तात्पर्य यथा स्थिति, मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक से है;

(च) ''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(छ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) में परिभाषित शब्दों तथा पदों के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

नियमावली की प्रयोज्यता

3—यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित समस्त सरकारी, अर्ध—सरकारी और निजी विद्युत संकर्म और प्रतिष्ठापनों के संबंध में लागू होगी।

मुख्य विद्युत निरीक्षक के लिए अर्हता

4—कोई व्यक्ति किसी मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक,—

(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में या इसके समकक्ष उपाधि धारित न करता हो; और

(ख) वह कम से कम बीस वर्षों की अवधि के लिए नियमित रूप से निदेशालय में और विद्युत अभियांत्रिकी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने अन्यून दो वर्ष किसी विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्यशाला में या विद्युत के उत्पादन या पारेषण या वितरण में, या अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न व्यतीत किया हो।

विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं

5—(1) कोई व्यक्ति विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नही किया जाएगा जब तक,—

(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी या इसके समकक्ष उपाधि न धारित करता हो; और वह कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए नियमित रूप से निदेशालय में और विद्युत अभियांत्रिकी के व्यवसाय में न लगा हो, जिसमें से उसने अन्यून दो वर्ष किसी विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में, कार्यशाला में या विद्युत के उत्पादन या पारेषण या वितरण में, या अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न व्यतीत किया हो; या

(ख) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा न धारित करता हो; और वह कम से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए नियमित रूप से निदेशालय में और विद्युत अभियांत्रिकी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने अन्यून दो वर्ष किसी विद्युत या यांत्रिक कार्यशाला में या विद्युत के उत्पादन, या पारेषण या वितरण में, या अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न व्यतीत किया हो।

(2) विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में पूरा किया जाएगा।

मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की शक्तियाँ

6—मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक को अपने अधिकारिता क्षेत्र में संकर्म और विद्युत प्रतिष्ठापनों का, जिसके संबंध में ऐसे निरीक्षक को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निदेशित कर दिया गया है, निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ

7—उपर्युक्त नियम 6 में यथा निर्दिष्ट निरीक्षण करने के लिए,—

(1) निरीक्षक, किसी स्थान, वाहन (कैरिज) या जलयान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें उत्पादन, पारेषण, परिवर्तन, सम्परिवर्तन, वितरण या विद्युत ऊर्जा में उपयोग किया जाने वाला कोई साधित्र या उपस्कर है, प्रवेश, निरीक्षण और जांच कर सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा।

(2) प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता, स्वामी और अधिभोगी किसी ऐसे निरीक्षक को ऐसी परीक्षा और परीक्षण कराने के लिये, जो उसका समाधान करने के लिये आवश्यक हो, समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करायेगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 53 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सी0ई0ए0—पी0एस0 16/1/2021—सी0ई0आई0 डिवीजन, दिनांक 8 जून, 2023 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों के सम्यक अनुपालन में हो।

(3) कोई निरीक्षक विद्युत के किसी प्रदायकर्ता से उसके द्वारा ऊर्जा प्रदाय किये जाने वाले समस्त उपभोक्ताओं की सूची, उनके पते जिस पर ऐसी उर्जा प्रदाय की जा रही है, संबंध (कनेक्टिंग) सेवाओं का मास, प्रदाय की वोल्टता, सम्बन्धित लोड और प्रदाय का प्रयोजन उन्हें उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा और प्रदायकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(4) प्रत्येक लाइसेंसधारी और उत्पादन केन्द्र का स्वामी, यदि किसी निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट, समस्त परीक्षण करने के लिए यथा स्थिति, साधित्रों, प्रदाय के लिए उपयेाग किये गये उपस्करों या उसके द्वारा ऊर्जा के उपयोग के युक्तियुक्त साधन उपलब्ध कराएगा।

(5) ऐसे निरीक्षण पर, निरीक्षक ऐसे निरीक्षण के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर किसी भी लाइसेंसधारी, उपभोक्ता, स्वामी या अधिभोगी पर किसी विनिर्दिष्ट विनियम का अनुपालन करने की मांग करते हुये आदेश की तामील कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति जिसको आदेश की तामील की गयी है, तदोपरि उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश का पालन करेगा और उसमें उल्लिखित आदेश की तामील करने वाले निरीक्षक को लिखित में रिपोर्ट करेगा की आदेश का अनुपालन कब किया गया है:

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील, उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसे आदेश की तामील की गयी है, आदेश के विरूद्ध दाखिल की जाती है तो अपील प्राधिकारी अपील के विनिश्चय तक इसके प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।

अपील

8–(1) इस नियमावली के अधीन तामील किये गये आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी,–

(क) यदि आदेश की विद्युत निरीक्षक द्वारा, मुख्य विद्युत निरीक्षक को तामील की जाती है;

(ख) यदि आदेश की मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या इस प्रयोजनार्थ सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को तामील की जाती है।

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक के आदेश के मामले में, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन उसे की गयी किसी अपील पर अग्रतर सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन या इस प्रायोजनार्थ सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को अपील की जायेगी।

(3) उप–नियम (1) और (2) के अधीन की गई प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति लगी होगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है और ऐसे दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिस दिनांक को ऐसा आदेश यथा स्थिति तामील या परिदत्त किया गया है।

(4) किसी अपील का निपटारा यथाशक्य शीघ्र किया जाएगा किन्तु अवधि अपील दाखिल करने के दिनांक से नब्बे दिन के अवधि से अधिक नहीं हो।

आज्ञा से,
नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 9/2024/401/XXIV-03-2024-24-3-25-2024, dated June 27, 2024:

No. 9/2024/401/XXIV-03-2024-24-3-25-2024

Dated Lucknow, June 27, 2024

.IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 162 and clause (o) of sub-section (2) of Section 180 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the qualification, powers and functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors in the State of Uttar Pradesh:

THE UTTAR PRADESH QUALIFICATIONS, POWERS AND FUNCTIONS OF CHIEF ELECTRICAL INSPECTOR AND ELECTRICAL INSPECTORS RULES, 2024

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003);

(b) "Appellate Authority" means the authority before whom an appeal shall lie against the order of an Electrical Inspector or the Chief Electrical Inspector as provided in rule 8 of these rules;

(c) "Directorate" means Office of the Director of Electrical Safety, Government of Uttar Pradesh;

(d) "Inspector" means a Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector, as the case may be;

(e) "Section" means section of the Act;

(f) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003), shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Act.

Applicability of rules

3. These rules shall apply in respect of all government, semi-government and private electrical works and installations situated in the State of Uttar Pradesh.

Qualification for Chief Electrical Inspector

4. No person shall be appointed to be a Chief Electrical Inspector unless,–

(a) he possesses a degree in electrical engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and

(b) he has been regularly engaged for a period of at least twenty years in the Directorate and in the practice of Electrical Engineering of which not less than two years have been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules made thereunder, in a position of responsibility.

Qualifications of Electrical Inspectors

5. (1) No person shall be appointed to be an Electrical Inspector unless,–

(a) he possesses a degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and he has been regularly engaged for a period of at least five years in the Directorate and in the practice of Electrical Engineering of which not less than two years have been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules made thereunder, in a position of responsibility and ; or

(b) he possess a Diploma in Electrical Engineering from a recognized University or Institution; and has been regularly engaged for a period of at least fifteen years in the Directorate in a position of responsibility and in the practice of Electrical Engineering of which not less than two years have been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules made thereunder, in a position of responsibility.

(2) The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the State Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the State Government.

Powers of the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector

6. The Chief Electrical Inspector and the Electrical Inspector shall have powers to inspect the works and electrical installations in his area of jurisdiction in respect of which, such an Inspector has been directed by the State Government to exercise his powers and perform functions under sub-section (1) of the section 162 of the Act.

Powers of entry and inspection

7. For carrying out inspections as referred to in rule 6 above,–

(1) The Inspector may enter, inspect and examine any place, carriage or vessel in which he has reason to believe that there is any appliance or apparatus used in the generation, transmission, transformation, conversions, distribution or use of electrical energy and may carry out tests therein.

(2) Every supplier, consumer, owner and occupier shall afford all reasonable facilities to any such Inspector to make such examinations and tests as may be necessary to satisfy himself as to the due observance of the safety regulations as specified by the notification no. CEA-PS-16/1/2021-CEI division dated 8th June, 2023 issued by the Central Electricity Authority under section 53 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) .

(3) An Inspector may require a supplier of the electricity to provide him a list of all consumers being supplied with energy by him, their addresses at which such energy is being supplied, the month of connecting services, the voltage of supply, the connected load and the purpose of supply and the supplier shall comply with such requisitions.

(4) Every licencee and every owner of a generating station shall, if required so to do by an Inspector, provide reasonable means for carrying out all tests, specified under the Act or regulations made thereunder, of the appliances or apparatus used for the supply or use of energy by him, as the case may be.

(5) Upon such inspection, an Inspector may serve an order, within fifteen days from the date of such inspection to any licencee, consumer, owner or occupier, calling upon him to comply with any specified regulation and the person so served shall thereupon comply with the order within the period specified therein, and shall report in writing to the Inspector serving the order mentioning therein as to when the order has been complied with:

Provided that if within the period specified in the aforesaid order an appeal is filed against the order by the person on whom such order has been served, the Appellate Authority may suspend its operation pending the decision of the appeal.

Appeals

8. (1) An appeal against an order served under these rules shall lie,–

(a) if the order is served by an Electrical Inspector, to the Chief Electrical Inspector;

(b) if the order is served by a Chief Electrical Inspector, to the Secretary, Energy Department, Government of Uttar Pradesh or any Special Secretary in Energy Department duly authorized by Secretary, Energy Department, Government of Uttar Pradesh for the purpose

(2) In the case of an order of Chief Electrical Inspector on an appeal preferred to him under clause (a) of sub-rule (1), a further appeal shall lie to the Secretary , Energy Department, Government of Uttar Pradesh or any Special Secretary in Energy Department duly authorized by Secretary, Energy Department, Government of Uttar Pradesh for the purpose.

(3) Every appeal made under sub-rules (1) and (2) shall be in writing and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be presented within thirty days of the date on which such order has been served or delivered, as the case may be.

(4) An appeal shall be disposed of as expeditiously as possible but not beyond a period of ninety days from the date of filing of the appeal.

By order,
NARENDRA BHOOSHAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 209 राजपत्र–2024–(583)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 ऊर्जा–2024–(584)–500 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।